भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 599
28 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता

599. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम" को लागू कर रहा है। यह स्कीम 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए चालू है। इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में वर्तमान वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के उन्नयन को बढ़ावा देना है।

यह स्कीम मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के विकारी होने आदि के आधार पर की जाती है। ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई स्कीम के तहत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

(ग) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक वित्त पोषित संगठनों और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि उत्पाद और प्रसंस्करण विकास, उपकरणों के निर्माण और विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग आदि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

इस स्कीम के अंतर्गत निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा निजी क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में उपकरण लागत का 50% तथा दुर्गम क्षेत्रों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी, केंद्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकार से वित्तपोषित संगठनों को 70% अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उत्पाद एवं प्रसंस्करण विकास, उपकरणों के निर्माण एवं विकास, बेहतर भंडारण, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग आदि के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा सके । सरकारी संगठनों/संस्थानों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों की लागत और रिसर्च फेलो आदि से संबंधित व्यय के लिए 100% अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली , सोनीपत , हरियाणा के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम द्वारा सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना है, जिसमें परिणाम, विकसित प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं। इस पोर्टल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अन्य मंत्रालयों/संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों का संग्रह भी होगा।

*****

अनुबंध

"सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय सहायता" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 599 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी के लिए सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी अभिकरण को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस स्कीम में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****